न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/197

रामरतन आत्मज गोपिया जाति बलाई मृतक जर्ये कायम मुकामान–
1/1 बृजमोहन आत्मज रामरतन
1/2 अशोक आत्मज रामरतन
1/3 लालचन्द आत्मज रामरतन
1/4 ओम प्रकांश आत्मज रामरतन
1/5 कमलेश पुत्री रामरतन
1/6 ममता पुत्री रामरतन
जातियान बलाई निवासीगण ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलांटगण

बनाम

1. भागीलाल आत्मज बलदेव जाति बलाई निवासी ग्राम रेलगांव तहसील दीगोद जिला कोटा
2. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार दीगोद(नाम डिलीट)

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री लक्ष्मण सिंह हाडा, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आरे से।

निर्णय दिनांकः 17.02.2025

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 25/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में मूलवाद के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया किग्राम धौरी तहसील दीगोद में खाता नम्बर 204 नया 43 पुराना 182 पर निम्न खसरा नम्बरान की कृषि भूमि स्थित चली आ रही है। नकल जमाबन्दी सम्वत् 2069 से 72 पेश है। खसरा नं0 258 की 0.93 हैक्टर, खसरा न० 260 की 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 298 की 0.66 हैक्टर, खसरा नं0 356 की 0.34 हैक्टर, खसरा नं0 381 की 0.50 हैक्टर , खसरा नं0 382 की 0.89 हैक्टर, खसरा नं0 383 की 0.57 हैक्टर,

खसरा नं0 384 की 0.40 हैक्टर, खसरा नं0 385 की 1.03 हैक्टर, खसरा नं0 386 की 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 387 की 0.46 हैक्टर, खसरा नं0 388 की 0.96 हैक्टर, खसरा नं0 389 की 0.09 हैक्टर, खसरा नं0 395 की 2.94 हैक्टर, खसरा नं0 397 की 0.72 हैक्टर, खसरा नं0 410 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं0 414 की 0.35 हैक्टर, खसरा नं0 415 की 1.15 हैक्टर कुल 18 किता की 12.93 हेक्टर। उपरोक्त भूमि के खातेदार गोगाजी थे। प्रार्थना–पत्र के साथ सजरा परिवार प्रस्तुत किया। उपरोक्त पूर्व में गोगा जी 1/2, व गोपिया जी 1/2 हिस्से से दर्ज चली आ रही थी। गोपिया जी की मृत्यु के बाद उनके पुत्र रामरतन प्रतिपक्षी न० 8 के नाम 1/2 हिस्सा दर्ज हुआ तथा गोगाजी की मृत्यु के बाद उनके छः पुत्रों मोत्या, बलदेव, रामचन्द्र, धन्ना, पन्ना व मन्ना के नाम 1/2 हिस्से से दर्ज हुई। खातेदार रामचन्द्र, पन्ना लाओलाद फोत हो गये। अत मोत्याजी, बलदेव जी, धन्ना जी व मन्ना जी प्रत्येक का 1/8, 1/8 हिस्सा बना। किन्तु राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी नं० 8 हिस्सा 1/2, व प्रार्थी एंव प्रतिपक्षी न० 1 ता 7 का 1/2 हिस्सा दर्ज है। मोत्या जी के दो पुत्रियां रतनी व शांति हुई तथा बलदेव जी के प्रार्थी व मोडू लाल पुत्र हुये। मोत्या जी के कोई पुत्र नहीं होने के कारण मोडूलाल प्रतिपक्षी नं० 1 को उसके पिता बलदेव जी ने मोत्या जी को 40 वर्ष पूर्व गोद दे दिया और मोत्या जी ने मोडूलाल प्रतिपक्षी नं० 1 को गोद लेकर अपना दत्तक पुत्र बनाया ओर प्रतिपक्षी नं० 1 मोत्याजी का दत्तक पुत्र है तथा मोत्या जी के 1/8 हिस्से में प्रतिपक्षी नं0 1–2–3 का बराबर का हिस्सा व कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिपक्षी नं० 1 स्वंय मोत्या (मोती लाल) का पुत्र बन कर रेलगांव ग्राम सेवा सहकारी से ऋण लिया हुआ है इसी नाम से सदस्य बना हुआ है। सहकारी की मतदाता सूची वर्ष 2006 व 2011 में व बीपीएल योजना वर्ष 1997 की परिवार सूची में भी प्रतिपक्षी नं० 1 का नाम मोडूलाल आत्मज मोती लाल दर्ज हे। राजस्व रिकार्ड में मोडू लाल प्रतिपक्षी नं० 1 को बलदेव का पुत्र अंकित किया हुआ है जो गलत है। इसी प्रकार रूप चन्द प्रतिपक्षी नं0 4 रूप चन्द धन्ना लाल का पुत्र है किन्तु उसका दो बार नाम अंकित कर दिया गया है जो भी गलत हे। इस कारण प्रतिपक्षी नं० 1 का प्रार्थी के साथ हटाया जाकर प्रतिपक्षी नं0 2–3 के साथ अंकित 'किया जाना व प्रतिपक्षी नं0 4 का नाम दूसरी बार अंकित किया गया है उसे हटाया जाना आवश्यक है। प्रतिपक्षी न० 1 मोत्या जी के यहां गोद चले जाने के कारण प्रतिपक्षी नं० 1 का बलदेव जी के हिस्से की भूमि में उसका कोई हक व हिस्सा नहीं बनता है तथा प्रार्थी वादग्रस्त भूमि में से बलदेव जी के 1/8 हिस्से का खातेदार है तथा 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी 1/8 हिस्से की भूमि का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। इसी अनुसार प्रतिपक्षी न० 1–2–3 वादग्रस्त भूमि के 1/8 हिस्से की, प्रतिपक्षी नं0 4–5–6 भी 1/8 हिस्से की तथा प्रतिपक्षी नं0 7 भी 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है तथा इसी अनुसार खातेदार घोषित होने के अधिकारी है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र की मद नं० 2 में वर्णित भूमियों में प्रार्थी का 1/8 हिस्सा है और अपने 1/8 हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त चला आ रहा है तथा प्रार्थी 1/8 हिस्से की भूमि का काबिज खातेदार व काश्तकार है। उपरोक्त भूमि वर्तमान में शामलाती खाते में दर्ज है ओर प्रतिपक्षी न० 1 का नाम प्रार्थी के नाम के साथ गलत तोर पर दर्ज किया हुआ हे। राजस्व रिकार्ड में प्रतिपक्षी नं० 1 को प्रतिपक्षी नं0 2 व 3 के साथ मोत्या जी का दत्तक पुत्र अंकित न किये जाने के कारण प्रतिपक्षी नं० 1 के मन में बदनियती आ गयी ओर प्रतिपक्षी नं० 2 व 3 से मिली भगत कर उनसे रिकार्ड के अनुसार भूमि विक्रय कराने पर व प्रार्थी के 1/8 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने पर आमादा है। जिसका कि प्रतिपक्षी नं० 1 को कोई

न्यायालय राजस्व अपील ...

अधिकार प्राप्त नहीं है। प्रतिपक्षी नं. 1 आये दिन प्रार्थी के कब्जे में दखल पैदा करता रहता है ओर प्रतिपक्षी नं0 2–3 से मिली भगत कर बिना बंटवारा कराये शामलाती खाते की भूमि को बेचान करवाने व बेचान करने पर आमादा है इस पर प्रार्थी ने प्रतिपक्षी गण को राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी को 1/8 हिस्से का खातेदार अंकित कराने व भूमि का बंटवारा कराने की कहने पर प्रतिपक्षी नं0 1–2–3 ने बंटवारा कराने से इन्कार कर दिया तथा दिनांक 21–02–2014 को प्रतिपक्षी नं. 1 ता 3 ने प्राथी को धमकी दी कि वे बिना बंटवारा कराये ही उपरोक्त भूमि को राजस्व रिकार्ड के अनुसार रहन बेचान कर देगें तथा प्रतिपक्षी नं० 1 पुनः प्रार्थी के हिस्से में से हिस्सा प्राप्त करके रहेगा ओर प्रार्थी को उसके 1/8 हिस्से की भूमि पर काश्त नहीं करने देगा। तथा भूमि को प्रतिपक्षी नं0 2–3 से बेचान व खुर्द बुर्द करवा देगा। जबकि प्रतिपक्षी नं. 1 ता 3 को बिना बंटवारा कराये व हक की घोषणा कराये उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को खुर्द बुर्द, रहन बेचान करने तथा प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करने व प्रार्थी को बैदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि उक्त भूमि का बंटवारा किये बिना ही प्रतिपक्षी नं 1 ता 3 ने उक्त भूमि को खुर्द बुर्द व बेचान कर दिया गया व प्रार्थी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा किया तो प्रार्थी को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थी का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थी का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है ताफैसला दावा प्रार्थी के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा की इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी नं. 1 ता 3 ग्राम धौरी तहसील दीगोद की खसरा नं0 258 की 0.93 हैक्टर, खसरा नं० 260 की 0.10 हैक्टर, खसरा नं0 298 की 0.66 हैक्टर, खसरा नं० 356 की 0.34 हैक्टर, खसरा नं0 381 की 0.50 हैक्टर, खसरा नं० 382 की 0.89 हैक्टर, खसरा न0 383 की 0.57 हैक्टर, खसरा नं० 384 की 0.40 हैक्टर, खसरा नं0 385 की 1.03 हैक्टर, खसरा नं० 386 की 0.51 हैक्टर, खसरा नं0 387 की 0.46 हैक्टर, खसरा नं० 388 की 0.96 हैक्टर, खसरा नं0 389 की 0.09 हैक्टर, खसरा नं० 395 की 2.94 हैक्टर, खसरा नं0 397 की 0.72 हैक्टर, खसरा नं० 410 की 0.33 हैक्टर, खसरा नं0 414 की 0.35 हैक्टर, खसरा नं० 415 की 1.15 हैक्टर, कुल 18 किता की 12–93 हेक्टर भूमि में से प्रार्थी को 1/8 हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत पैदा नहीं करे, काश्त करने से नहीं रोके ओर उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को बिना विभाजन कराये खुर्द बुर्द व बेचान तथा अन्तरण नहीं करे। उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे। तथा प्रतिपक्षीगण विवादित भूमि के मोके व रिकार्ड की यथास्थिती बनाये रखे ।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07.07.2014 को रतनी बाई एवं शांति बाई के हिस्से 2/3 की भूमि पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 05.03.2014 को सामाप्त किए जाने तथा वाद में सभी प्रतिपक्षीगण के हिस्से तक सभी पक्षकारान के लिए अस्थाई निषेधाज्ञा समाप्त किए जाने का आदेश पारित किया गया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 त्रुटिपूर्ण

होने से निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 को निरस्त फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की ओर से अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि प्रार्थीगण के पिता एवं प्रार्थीगण को बिना नोटिस दिये ही प्रार्थीगण के पिता के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही कर आदेश प्रदान किया है। जबकि प्रार्थीगण के पिता को न तो कोई नोटिस जारी किया गया और न ही कोई जानकारी ही अपीलाधीन आदेश की है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश की सर्वप्रथम जानकारी हाल ही में अपने पिता की मृत्यु के बाद इतकाल खुलवाने हेतु राजस्व रिकार्ड की नकल दिनांक 20.05.24 को प्राप्त की। जिस पर जानकारी हुयी कि उक्त जमा बन्दी पर न्यायालय के स्थगन का नोट अंकित है जिस पर सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त कर विधिक राय लेकर दिनांक 21.05.24 को नकल प्राप्त की जिस पर उक्त नकल दिनांक 29.05.24 को प्राप्त हुयी बाद नकल प्रार्थी लालचन्द जो समझदार है बीमार हो जाने के कारण अपील प्रस्तुत नही कर सके बाद मे प्रार्थी के ठीक हो जाने पर पैसो की व्यवस्था कर अपील प्रस्तुत है। प्रार्थी की त्रुटि सदभाविक एवं क्षम्य है। न्यायहित मे उदारता का रूख अपनाकर अवधि कन्डोन फरमाया जाना न्यायहित मे आवश्यक है। अन्त में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि न्याय एवं संचिका मे सिद्धी प्राप्त तथ्यो के सर्वथा विपरीत है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के पिता को समुचित सुनवायी एवं साक्ष्य का अवसर दिये बिना ही अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को खारिज कर दिया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट के पिता को कोई सूचना प्रदान नहीं की गयी और न ही कोई सूचना प्राप्त हुयी है इसके बावजूद भी अनुपस्थिति दर्ज कर एक पक्षीय कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रदान कर दिये गये जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की और कोई ध्यान नही दिया कि रेस्पोडेन्ट द्वारा अपीलान्ट के पिता एवं अपीलान्ट के विरूद्ध कोई सहायता नही चाही गई। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा अपीलांट के पिता के विरूद्ध किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया। प्रश्नगत प्रकरण में विवाद केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

भाईयों के मध्य है। हमारे हिस्से की भूमि पर स्थगन दिया जाना उचित नहीं है। यदि रेस्पोडेन्ट के हिस्से की भूमि पर स्थगन को यथावत रखा जावे तो हमें किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। मेरे पिता की मृत्यु हो चुकी है तथा अब हमारे पिता के वारिसान का नाम उनके स्थान पर राजस्व अभिलेख में दर्ज किया जाना आवश्यक है। अतः हमारे हिस्से तक की भूमि से स्थगन हटाया जाना आवश्यक है। इसके बावजूद भी अपीलान्ट के विरूद्ध स्थगन प्रदान कर जमाबन्दी मे नोट अंकित कर दिया गया जो सर्वथा त्रुटि पूर्ण है। अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो गया है स्वर्गवास बाद अपीलान्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की नकल प्राप्त करने पर जानकारी हुयी कि उनकी आराजी पर न्यायालय का स्थगन का नोट दर्ज है जिस पर नोट हटाने के लिये अधीनस्थ न्यायालय व तहसीलदार दीगोद को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये किन्तु स्थगन का नोट नहीं हटाने व अपील करने की कहने पर अपील प्रस्तुत की गई है। अन्त में अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर योग्य अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अपीलान्ट के विरूद्ध निरस्त फरमाया जाने तथा अपीलान्ट की हद तक स्थगन को निरस्त किए जाने का निवेदन किया। साथ ही अन्य न्यायोचित सहायता जो भी अपीलान्ट को मिल सके वह दिलवाये जाने के आदेश प्रदान किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अपीलांट सर्वथा गलत व असत्य तथ्यों के आधार पर वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 07.07.2014 को पारित किया गया है तथा अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अपील दिनांक 13.08.2024 को पेश की गई है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश एंव राजस्व अभिलेख में अंकित नोट की जानकारी रही है। इसके बावजूद भी अपीलांटगण द्वारा जानबूझकर विलम्ब से अपील पेश की गई है। विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांटगण द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया गया है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील गंभीर रूप से अवधि बाधित होने से खारिज किए जाने योग्य है। वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अन्य प्रतिवादीगण के संयुक्त खातेदारी की भूमि है। अपीलांटगण द्वारा अपील में सभी संयुक्त खातेदारान को पक्षकार कायम नहीं किया गया है अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील पक्षकारान के कुसंयोजन के कारण खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 विधि सम्मत है तथा इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत

न्यायालय राजस्व अपील अथॉरिटी कोटा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की ओर से मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय एवं उचित प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069 से 2072 के अनुसार ग्राम धोरी तहसील दीगोद की खाता संख्या 204 की कुल किता 18 कुल रकबा 12.93 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में रामरतन पुत्र गोपिया का 1/2 हिस्सा तथा शेष 1/2 हिस्सा मन्ना, रतनी, शान्ति, मोत्या, मांगीलाल, मोडूलाल, रूपचन्द, जसोदा बाई, कस्तूरी, रूपचन्द की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अतः राजस्व रिकॉर्ड में वादग्रस्त भूमि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 मांगीलाल तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण वादग्रस्त भूमि के सहखातेदार रामरतन के वारिसान है जिसका वादग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत वाद में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 लगायत 3 को वादग्रस्त आराजी कुल किता 18 रकबा 12.93 हैक्टेयर भूमि में से प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के 1/8 हिस्से की भूमि पर कब्जे काश्त में दखलंदाजी नहीं करने एवं रिकॉर्ड एवं मोके की यथास्थिति कायम रखने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। वादग्रस्त भूमि अपीलांटगण के पिता रामरतन एंव रेस्पोडेन्ट संख्या 1 तथा अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है। संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच की भूमि पर समान रूप से कब्जा काश्त माना जाता है। अतः संयुक्त खातेदारी की भूमि में प्रत्येक सहखातेदार का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु समान रूप से निहित होता है। अतः किसी एक सहखातेदार को किसी दुसरे सहखातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना कानूनन उचित नहीं है। अपीलांटगण का पिता रामरतन वादग्रस्त भूमि का सहखातेदार है तथा वादग्रस्त भूमि में रामरतन का 1/2 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलांटगण के पिता सहखातेदार रामरतन की मृत्यु हो चुकी है तथा अपीलांगण सहखातेदार रामरतन के विधिक वारिसान एवं कायम मुकाम है। अतः वादग्रस्त भूमि में अपीलांटगण का प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दु अन्य सहखातेदारान के समान निहित है। अतः अपीलांटगण के पिता सहखातेदार रामरतन के हिस्से 1/2 की भूमि के सम्बंध में किसी प्रकार का अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश जारी किया जाना उचित नहीं है। वादग्रस्त भूमि उभयपक्षकारान की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड है अतः प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

बिन्दु प्रत्येक पक्षकार का समान रूप से निहित है। अतः वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में किसी भी पक्षकार को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित नहीं है। हमारे मत में अधीनस्थ न्यायायल ने अपने निर्णय दिनांक 07.07.2014 में वादग्रस्त भूमि के सम्बंध में अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का जो आदेश अंकित किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद जिला कोटा के प्रकरण संख्या 25/2014 में पारित निर्णय दिनांक 07.07.2014 निरस्त किया जाता है।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 17.02.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/2/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा